संक्षिप्त समाचार

धनतेरस के साथ दीपोत्सव का आगाज आज से, 6 दिन तक रहेगी दीपावली की धूम

खरीददारो की भीड़ से बाजार में भी छाने लगी रौनक

टोंक (सीमा सन्देश संवाददाता)। शनिवार को धनतेरस पर्व के साथ दीपोत्सव का आगाज हो जायेगा, जहा रूप चौदस, दीपावली, अन्नकूट, गोर्वधनजी, भाई दोज जेसे पर्व के चलते इस बार 6 दिन यानि 23 अक्टूबर शनिवार तक दीपोत्सव की धूम रहेगी। दीपोत्सव को लेकर बाजारों को विद्युत झालरों से दुल्हन की तरह सजाने का काम लगभग पूरा हो चुका है, त्योंहार को लेकर मुख्य बाजार में महिला-पुरूषों, बच्चों युवाओं एवं युवतियों की खरीददारी के लिए भीड उमड रही है। नये कपड़े, जूते, रंगीन पोस्टर, पटाके सहित मिट्टी के दीपको की भी जमकर जमकर खरीददारी हो रही है। धनतेरस के दिन शनिवार को जहां बर्तनों की दुकाने सजाई जायेगी, वही आभूषणों की दुकानों पर भी जमकर खरीददारी होगी। दीपावली पर्व के अवसर पर मुख्य बाजार में व्यापारियों एवं दुकानदारों के सहयोग से विद्युत झालरों से भव्य सजावट की गई है।

प्रदेश में बोनस अंक व मैरीट बेस से नर्सिंग भर्ती शुरू करने की मांग

नर्सेज भर्ती संघर्ष समिति ने चिकित्सा मंत्री के नाम सोंपा ज्ञापन

टोंक (सीमा सन्देश संवाददाता)। नर्सेज भर्ती संघर्ष समिति टोंक ने नर्सिंग ऑफिसर के 12 हजार एवं महिला स्वास्थ्यकर्ता के 5 हजार पदों पर 10, 20, 30 बोनस अंक व मैरीट बेस से न्यू नर्सिंग भर्ती की मांग को लेकर शुक्रवार को भाजपा जिलाध्यक्ष चन्द्रवीर सिंह चौहान को चिकित्सा मंत्री के नाम ज्ञापन सोंपा हे। संघर्ष समिति के सुनिल जांगीड़, कुलदीप, राजकमल चन्देल, सुरजीत, सुमित राजावत, जीशान खान आदि ने ज्ञापन में बताया कि वर्तमान में ठेका प्रथा में नर्सेज बंधुवा मजद्धूरा की तरह काम कर रहे है, जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न योजनाओं एनआरएचएम, यूटीबी, एनएचएम, आरएमआरएस, एनसीडी, 108, पीपीपी के अन्तर्गत वर्षो से संविदा नर्सेज अल्प मानदेय में कार्यरत है तथा नियमितिकरण से वंचित है। ज्ञापन में नर्सेज 2018 एवं 2023 की तर्ज पर नर्सिंग ऑफिसर की 12 हजार, एएनएम की 5 हजार पदों पर भर्ती मैरिट प्लस बोनस के आधार पर निकाल कर संविदा नर्सेज को लाभान्वित किये जाने की मांग की है।

श्री कल्याण जी महाराज के सजाई छप्पन भोग की झांकी

मालपुरा (सीमा सन्देश संवाददाता)। मालपुरा उपखंड के प्रसिद्ध धर्म नगरी डिग्गी में शुक्रवार को रमा एकादशी के अवसर पर श्री कल्याण जी महाराज के छप्पन प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया गया। समाजसेवी सुरेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि मंदिर पुजारी दामोदर शर्मा, संपत गौरी शंकर शर्मा द्वारा कल्याण जी महाराज के आकर्षक छप्पन भोग की झांकी सजाई गई।

आग पर काबू पाने का फायर मॉक ड्रिल किया

मालपुरा (सीमा सन्देश संवाददाता)। राजकीय जिला अस्पताल मालपुरा में शुक्रवार को आग पर काबू पाने के लिए फायर मॉक ड्रिल का आयोजन किया। अस्पताल पीएमओ डॉ. कैलाश सामरिया के निर्देशन में समय जिला में आग लगने व आग पर काबू पाने के लिए फायर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। अस्पताल में लगे अग्निशमन यंत्रों के माध्यम से स्टाफ ने प्राथमिक तौर पर आग बुझाने के प्रयास की मॉकड्रिल की। वही पीएमओ के अस्पताल में आग की सूचना पर अग्निशमन कर्मचारी फायर प्रभारी महेंद्र लाखनवाल, दमकल ड्राईवर धर्मराज नायक, शबीर भिश्ती, फायरमैन महेश चौधरी, राकेश जाट, मंगलेश तेजी, त्रिलोक तेजी तत्काल दमकल के साथ अस्पताल पहुंचे व आग पर पाया काबू।

विनोद साहू संयोजक व सहसंयोजक अक्षय शर्मा बने

मालपुरा (सीमा सन्देश संवाददाता)। हिन्दू समरसता मंच मालपुरा की महेश सेवा सदन में बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता चौथमल जांगिड़ अध्यक्ष जांगिड़ समाज मालपुरा ने की। बैठक में इस वर्ष दीपावली का आयोजन भव्य रूप से मनाने का निर्णय लिया गया। तीन दिवसीय दीपावली महोत्सव का आयोजन 19-20 व 21 अक्टूबर को होगा। कार्यक्रम में सुभाष सर्किल और गांधी पार्क पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन होगा। 19 अक्टूबर को दीपावली आयोजन का शुभारंभ दीपोत्सव के साथ होगा जहां विश्व बजरंग दल की ओर से दीपावली मिलन कार्यक्रम का आयोजन होगा। बाजार में आकर्षण के कई कार्यक्रम होंगे। कार्यक्रम का संयोजक विनोद साहू व सहसंयोजक अक्षय शर्मा को बनाया गया ।

सआदत अस्पताल में आग लगने से मचा हडकंप, सरपट दौड़े बचाव कर्मी

मॉक ड्रील से आग लगने की आपात स्थिति से निपटने का अभ्यास

सफल आयोजन पर जताया संतोष

सीमा सन्देश संवाददाता

टोंक। जिला मुख्यालय स्थित सआदत अस्पताल में शुक्रवार को पुलिस-प्रशासन द्वारा आपातकालीन मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल के तहत सआदत अस्पताल के पीछे व उपरी वार्ड में आग लगने की सूचना मिलते ही पुलिस एंव प्रशासनिक अधिकारी, चिकित्सा विभाग, पुलिस कर्मी सहित अग्निशमन एवं सिविल डिफेंस की टीमें मौके पर पहुंचीं। एएसपी ब्रिजेन्द्र सिंह भाटी, एसडीएम टोंक हुकमीचंद रोहलानिया, पुलिस उपाधीक्षक राजेश विधार्थी, नगर परिषद आयुक्त धर्मपाल जाट, कोतवाल भवंरलाल, पुरानी टोंक एसएचओं नेमीचन्द गोयल आदि ने स्वयं मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लेते हुये बचाव कार्य को देखा। इस दौरान अस्पताल में आग लगने की स्थिति से निपटने के लिए विभिन्न विभागों की प्रतिक्रिया और समन्वय को भी जांचा गया। मॉक ड्रिल के दौरान अस्पताल के पीएमओं डा. हनुमान प्रसाद बैरवा चिकित्सा कर्मियों के साथ अस्पताल में पूरी तैयारी के साथ मुस्तैद नजर आये, वही सभी संबंधित विभागों ने भी आपसी समन्वय के साथ राहत और बचाव कार्यों का प्रदर्शन किया। एसडीओ ने बताया कि आग लगने से घायल तीन जनो को सिढ़ी की मदद से तत्काल रेस्क्यू कर सआदत अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्होने बताया कि इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य यह जांचना था कि आपदा की स्थिति में विभिन्न विभाग कितने सजग और तैयार हैं।

वन गश्ती दल ने अवैध झींकरा से भरा डंपर जब्त, चालक गिरफ्तार

निवाई (सीमा सन्देश संवाददाता)। अवैध खनन व परिवहन पर कार्यवाही करते हुए हैं वन विभाग की टीम ने शुक्रवार को एक डंपर को जब्त कर चालक को गिरफ्तार किया है। गश्ती दल के मोहनलाल मीणा ने बताया कि वन विभाग रेंजर धरि लाल बैरवा के नेतृत्व में वन विभाग के गश्ती दल ने बरथल तिराहा से अवैध झींकर भरकर परिवहन करते एक डंपर को जब्त किया। रेंजर बैरवा ने बताया कि वन अधिनियम 1953 के तहत कार्यवाही करते हुए चालक दिलखुश प्रजापत पुत्र उद्दालाल प्रजापत निवासी कांटोली को गिरफ्तार किया है। डंपर को जब्त कर संजय वन में सुरक्षित खड़ा करवा दिया गया है। गश्तीदल में मोहनलाल मीणा, विनोद गुर्जर व संदीप मौर्य सहित अन्य वनकर्मी शामिल थे।

जगतपुरा में एक ही परिवार के दो पक्षों में मामूली विवाद खूनी संघर्ष में बदला

आधा दर्जन महिलाओं सहित 14 घायल

निवाई (सीमा सन्देश संवाददाता)। निवाई सदर थाना क्षेत्र के गांव जगतपुरा में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। जिसमें महिला पुरुषों सहित करीब 14 जने घायल हो गए। पुलिस सहायक उप निरीक्षक रुपसिंह गुर्जर ने बताया कि शुक्रवार की सुबह करीब 8:45 बजे सूचना मिली कि एक ही परिवार के दो पक्षों के बीच जमीनी विवाद को लेकर संघर्ष हो गया है। जिसमें 6 महिलाओं सहित 14 जने घायल हो गए। सूचना पर पुलिस घटना स्थल पर पहुंची। सभी घायलों को उपचार के लिए उप जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने गंभीर हालत देखते हुए दोनों पक्षों के पांच जनों को टोंक रैफर कर दिया। इस दौरान अस्पताल में लोगों की भीड़ जमा हो गई.

एक पक्ष -: प्रथम पक्ष के गणेश पुत्र जगन्नाथ गुर्जर, रामपति पत्नी जगदीश गुर्जर, धोली पत्नी धर्मराज गुर्जर, देवालाल पुत्र जगन्नाथ गुर्जर, कमला पत्नी गणेश गुर्जर, कालू पुत्र जगन्नाथ गुर्जर घायल हो गए। इसी प्रकार दूसरे पक्ष के सूरज पुत्र जगदीश गुर्जर, देव पत्नी सूरज गुर्जर, सरोज पत्नी सांवरमल गुर्जर, रामरख पुत्र रामकिशन गुर्जर, सांवरमल पुत्र रामकिशन, रामकिशन पुत्र ओंकार गुर्जर व बसराम पुत्र सूरज गुर्जर घायल हो गए। सदर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है।

टोंक में लिटरेचर व एजूकेशन सेमीनार आयोजित करवाने का लिया निर्णय

टोंक। निजी स्कुलो की विभ्भीन्न समस्याओं को लेकर जिले के प्राईवेट स्कूल शिक्षा परिवार की बैठक आज यूनियन के अध्यक्ष शब्बीर नागौरी की अध्यक्षता में यहा एक निजी स्कुल में आयोजित की गई। बैठक में सभी ब्लाको से आये स्कूल संचालकों ने अपनी-अपनी समस्याऐं बताते हुये उनके समाधान को लेकर चर्चा की गई।

जोजफ स्कूल के संचालक गोर्वधन हिरोनी ने आने वाले समय में होने वाले शिक्षा में परिवर्तनों के बारे में बताया कि निकट भविष्य में एक पाठ्यक्रम एक साथ सबकी परीक्षाऐं करवाई जायेगी। उन्होने बताया कि आगामी दिनो टोंक जिले में लिटरेचर व एजूकेशन सेमीनार करवाई जायेगी। सीबीईओ ऑफिस से आये लीला जैन, कालू राम गुर्जर, गोपाल लाल मीणा यूनियन द्वारा माल्यार्पण कर शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया गया। सीबीईओ ऑफिस के अधिकारियों ने भी विभिन्न नियमों व सरकारी आदेशों की जानकारी देते हुए स्कूल संचालकों व विभाग में समन्वय बनाये रखने पर जोर दिया। कमलेश सिंगोदिया ने अपने विचारो में विद्यालय को वर्तमान समय के अनुसार अपडेट रखने पर जोर दिया। बैठक में टोड़ारायसिंह ब्लॉक अध्यक्ष बाबूलाल सैनी, निवाई ब्लॉक अध्यक्ष शिवदयाल पंवार, तहसील अध्यक्ष महावीर प्रसाद यादव सहित टोंक ब्लॉक के अधिकांश स्कूल संचालक मौजुद रहे।

अनु. जनजाति के परिवारों को राहत

टोंक । राजस्थान हाईकोर्ट ने शुक्रवार को दूनी तहसील के करेसिया देवपुरा की वन भूमि पर सौ वर्षो से रह रहे परिवारों को राहत देते हुए वन विभाग को आदेश दिए है की याचिकाकताओं के विरुद्ध किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्यवाही न करें, साथ ही अदालत ने राज्य के प्रमुख वन सचिव, जिला वन अधिकारी टोंक, सहायक वन सरक्षक टोंक तथा क्षेत्रीय वन अधिकारी देवली को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-08 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
क्र: 90A/JDA/2025-26/100291 **लोक सूचना** दि. 17.10.2025
श्री PAPPU LAL CHOUDHARY पुत्र श्री KALU RAM CHOUDHARYजाति JAT निवासी CHHITAR KALU CHOUDHARY KI DHANI MOHANPURA SANGANER JAIPUR ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिभृति अधिकारी के निर्धारण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल(हैक्ट.)	रूपान्तरण क्षेत्रफल(हैक्ट.)
1	मोहनपुरा, सांगानेर (जयपुर)	1.) पप्पूलाल पुत्र	712/220	0.87	0.445
		कालूराम हिस्सा पूर्ण	720/651	0.086	0.0404
		जाति जाट सा. देह खातेदार		कुल	0.4854

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क औऱा राजस्थान अभिभृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिभृति अधिकारों के निर्धारण पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Jaipur Development Authority (JDA) आईकॉन पर जाकर सम्बर्धक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है। उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 17-10-2025 को जारी की गयी। **प्राधिकृत अधिकारी जोन-08**

Rajasthan State Road Development And Construction Corporation Ltd., JAIPUR
No.NIT/2025-26/23347-57 **ई-निविदा सूचना संख्या 446/2025-26** Date: 17.10.2025
निम्नलिखित कार्य के लिए योग्य एवं अनुभवी कन्सलटेन्ट/कंसलटेन्टसी फर्मों से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्यूरमेन्ट प्रक्रिया हेतु ऑनलाइन निविदायें आमंत्रित की जाती है:

कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (रु.)
Consultancy work for Proposed Construction of Center of Excellence for Legal Research and Applications at National Law University Jodhpur. UBN: RRC2526SLRC00809	20.00 Lakh

निविदा से संबंधित प्रपत्र में निविदा शुल्क, धरोहर राशि, डाउनलोड करने व खोलने की तारीख सहित सम्पूर्ण विवरण एवं संशोधन वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in, http://sppp.rajasthan.nic.in तथा http://pwd.rajasthan.gov.in/rsrdc पर देखा जा सकता है। इच्छुक संवेदकों को अपने डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर रजिस्टर्ड करवाना आवश्यक है। - **महाप्रबंधक**

शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: 501, सैलकॉन ऑरम, जसोला जिला केंद्र, नई दिल्ली - 110025
CIN: U65900DL2020PLC366027
नीलामी सूचना
शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के निम्नलिखित ऋणधारकों को सूचित किया जाता है कि बैंक द्वारा जारी व्यक्तिगत सूचनाओं सहित विभिन्न मांगों और सूचनाओं के बावजूद, उनके द्वारा बैंक से लिए गए स्वर्ण ऋण/ऋणों का समायोजन नहीं किया गया है। सभी ऋणधारकों को सूचित किया जाता है कि बैंक के पास जमानत के रूप में रखे गए स्वर्ण आभूषणों की नीलामी करने का निर्णय लिया गया है और तदनुसार, उस शाखा परिसर में, जहाँ से ऋण लिया गया था, सुबह 11:00 बजे नीलामी का समय निर्धारित किया गया है। ऋणधारक, खाताधारक और आमजन सहित सभी लोग नीलामी की शर्तों के अनुसार इस नीलामी में भाग ले सकते हैं।
नीलामी दिनांक 29.10.2025 @ प्रातः 11.00

क्र.सं.	शाखा	खाता सं.	खाता धारक का नाम
1	पुणे तिलक रोड	104242513550	अनुराग अरोड़ा
2	पुणे तिलक रोड	104242513589	प्रेम एन खंडपुर

बैंक बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी खाते को नीलामी से हटाने या नीलामी रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
प्राधिकृत अधिकारी, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

टाटा कैपिटल लिमिटेड
शाखा कार्यालय: ऑफिस 902-906, क्वांटम टावर, चिंचौली, गोविंदजी श्रॉफ मार्ग, मलाड पश्चिम, मुंबई - 400064
डिमांड नोटिस
प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय आस्तियों के पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम,2002 ('अधिनियम') की धारा 13(2) सहपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (नियम') के नियम 3 के अधीन
यहां सूचित किया जाता है कि **टाटा कैपिटल लिमिटेड (टीसीएल)** एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी है और कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित है और इसका पंजीकृत कार्यालय पेनिन्सुला बिजनेस पार्क, टॉवर ए, 11वीं मंजिल, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400013 और अन्य स्थानों के बीच एक शाखा कार्यालय नई दिल्ली ('शाखा') में है। दिनांक **24.11.2023** के आदेशों के तहत, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) मुंबई ने धारा 230 से 232 के प्रावधानों सहपठित धारा 66 और कंपनी अधिनियम, 2013 (सेड स्कीम) के अन्य लागू प्रावधानों के तहत अंतरितक के रूप में टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ('टीसीएफएसएल') और टाटा क्लीनटेक कैपिटल लिमिटेड ('टीसीसीएल') और अंतरिती के रूप में टाटा कैपिटल लिमिटेड ('टीसीएल') के बीच व्यवस्था की योजना को विधिवत मंजूरी दी हुई है। इसके संदर्भ में, टीसीएफएसएल और टीसीसीएल (अंतरितक कंपनियां) 01.01.2024 से प्रभावी इस संबंध में अपने उपक्रम के साथ सभी संपत्तियों, आस्तियों, अधिकारों, लाभों, ब्याज, कर्तव्यों, दायित्वों, देनदारियों, अनुबंधों, समझौतों, प्रतिभूतियों आदि के साथ टीसीएल में विलय कर चुकी हैं। उक्त आदेश और योजना के अनुसरण में, टीसीएफएसएल द्वारा निष्पादित सभी सुविधा दस्तावेज और उनके संबंध में सभी बकाया आवेदक कंपनी को हस्तांतरित कर दिए गए और इस प्रकार टीसीएल उसके संदर्भ में [ऋणधारकों/सह-ऋणधारकों] से दावा करने की हकदार है।
यहां निम्न उपकृतों/विधिक प्रतिनिधियों/विधिक वारिसों **(ऋणधारक/सह-ऋणधारकों)** को सूचित किया जाता है कि वे टाटा कैपिटल लिमिटेड **(टीसीएल)** से लिये गये मूल का उसके ब्याज व अन्य लागतों के साथ भुगतान करने में चूककर्ता हैं। नीचे उल्लेखित ऋण खातों को टीसीएफएसएल के बकाया के भुगतान में चूक के चलते आरबीआई की गाइडलाइन की पालना के अनुसार अन-अर्जक आस्तियों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। टीसीएल, प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय आस्तियों के पुनर्गठन व प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 **(अधिनियम)** के प्रावधानों की पालना में अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नीचे उल्लेखित विधिक नोटिस जारी कर ऋणधारकों को इस बकाया राशि को भविष्य के ब्याज व लागत सहित नोटिसों के 60 दिवस के भीतर जमा करवाकर मुक्त होने के लिए आमंत्रित करती है। इसमें असफल होने पर टीसीएल ऋणधारकों द्वारा टीसीएल के पक्ष में सुरक्षित हित के रूप प्रवर्तित नीचे लिखि सम्पत्ति सहित अधिनियम की धारा 13(4) के अधीन विस्तृत किसी या समस्त अधिकारों के तहत चाराजोई करेगा।

ऋण खाता सं.	उपकृत(ों)/विधिक वारिस (ों)/ विधिक प्रतिनिधि(यों) का नाम	एनपीए तिथि	मांग पत्र के अनुसार बकाया राशि/ डिमांड नोटिस की तिथि
TCFLA03750000119098227	20.09.2025 **1. मैसर्स श्री किशनजी मिल्क** 19 धान मंडी स्कूल मार्ग श्री कृष्णा दही भंडार अग्रवाल नमकीन के पास, उदयपुर राजस्थान 313001 **2. मैसर्स श्री किशनजी मिल्क** राजस्व ग्राम शोभागपुरा उदयपुर राजस्थान-313011 पर स्थित प्लॉट नंबर 26. **3. तुषार साहू** 19 धान मंडी स्कूल मार्ग श्री कृष्णा दही भंडार अग्रवाल नमकीन के पास, उदयपुर राजस्थान 313001 **4. तुषार साहू** राजस्व ग्राम शोभागपुरा उदयपुर राजस्थान-313011 पर स्थित प्लॉट नंबर 26. **5. लक्ष्मी साहू** 19 धान मंडी स्कूल मार्ग श्री कृष्णा दही भंडार अग्रवाल नमकीन के पास, उदयपुर राजस्थान 313001 **6. लक्ष्मी साहू** राजस्व ग्राम शोभागपुरा उदयपुर राजस्थान-313011 पर स्थित प्लॉट नंबर 26. **7. सुरेश साहू** 19 धान मंडी स्कूल मार्ग श्री कृष्णा दही भंडार अग्रवाल नमकीन के पास, उदयपुर राजस्थान 313001 **8. सुरेश साहू** राजस्व ग्राम शोभागपुरा उदयपुर राजस्थान-313011 पर स्थित प्लॉट नंबर 26.	01-09-2025	रु. 77,88,192 और 20.09.2025

संपत्ति का विवरण: श्री तुषार साहू पुत्र सुरेश साहू एवं श्रीमती लक्ष्मी साहू पत्नी श्री सुरेश के पक्ष में राजस्व ग्राम शोभागपुरा, उदयपुर, राजस्थान-313011 में स्थित प्लॉट संख्या 26, प्लॉट की चौड़ाई 54.10 फीट, लंबाई 66 फीट, नाप 3570 स्क्वैयर फीट, पूर्व: प्लॉट श्री रूपा पुत्र नोजा मेघवाल, पश्चिम: मुख्य सड़क 30 फीट चौड़ी, उत्तर: श्री केशुदास साधु का प्लॉट, दक्षिण: श्री छगन लाल जी मेघवाल पिता श्री हाका जी का प्लॉट

TCFLA0368000012437655	**1. अक्षय कृष्ण जोशी** सी-38 इंद्रा विहार केशोपुरा कोटा राजस्थान 324005 **2. अक्षय कृष्ण जोशी** सी-38 इंद्रा विहार केशोपुरा कोटा राजस्थान 324005 **3. शालिनी जोशी** सी-38 इंद्रा विहार केशोपुरा, कोटा राजस्थान 324005 **4. धर्म कुमार जोशी** सी-38 ब्लॉक सी वार्ड नंबर 39 शिव ज्योति स्कूल के पास इंद्रा बिहारी टाउनशिप कोटाराजस्थान 324005	01-09-2025	रु. 93,97,585/- और 20.09.2025

संपत्ति का विवरण: श्री धर्म कुमार जोशी पुत्र श्री बद्री लाल जोशी के पक्ष में प्लॉट संख्या- सी-38, इंद्रा विहार हाउसिंग कॉलोनी, तहसील लाडपुरा एवं जिला कोटा, राजस्थान-324007, अधिमापन क्षेत्र 116.13 स्क्वैयर मीटर, पूर्व: प्लॉट संख्या 37, पश्चिम: प्लॉट संख्या 39, उत्तर रोड 30 फुट चौड़ा, दक्षिण: प्लॉट संख्या 27

उक्त उल्लेखित डिमांड नोटिस को प्रभावोत्पादक सेवाओं की सुनिश्चितता के परिप्रेक्ष्य सहित देखा जाए, हम उक्त नोटिस को सार्वजनिक सूचना सेवा के रूप में दे रहे हैं। उक्त ऋणधारकों को यहां अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन इस नोटिस के 60 दिनों की अवधि में उक्त उल्लेखित देयताओं से मुक्त होने के लिए आमंत्रित किया जाता है। इसमें उनके असफल रहने पर टीसीएल अधिनियम की धारा 13(4) के अधीन समस्त अधिकारों या अन्य अधिकारों की चाराजोई करेगा। प्रासंगिकता में, अधिनियम की धारा 13(13) की शर्तों के अनुसार ऋणधारकों को यह भी नोटिस दिया जाता है कि वे उक्त सुरक्षित आस्तियों को विक्रय, लीज या अन्य किसी प्रकार से हस्तांतरित नहीं करेंगे।
दिनांक : 18.10.2025, **हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी**
स्थान : कोटा उदयपुर (राजस्थान) **कृते टाटा कैपिटल फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड**

मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : मोतीलाल ओसवाल टॉवर, रहीमतुल्लाह सयानी रोड, परेल एसटी डिपो के सामने, प्रभादेवी, मुम्बई-400 025,
सीएस : 8291889898 **वेबसाइट** : www.motilaloswalhf.com, **ई-मेल :** hfquery@motilaloswal.com
कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति/यों के लिए)
(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन)नियम 2002 के नियम 8(1) के अधीन)
चूंकि अधोहस्ताक्षरकर्ता **मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड(पूर्व में एस्पायर होम फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के रूप में ज्ञात है)** का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय आस्तियों का पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के अधीन तथा अधिनियम की धारा 13 (12) सहपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 में प्रदत्त शक्तियों की पालना में यहां नीचे उल्लेखित दिनांक को एक डिमांड नोटिस जारी कर निम्नलिखित ऋणधारकों से उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर नोटिस में उल्लिखित राशि चुकाने को कहा गया था।
निम्नलिखित ऋणधारक राशि का भुगतान करने में असफल रहे हैं। यहां ऋणधारकों तथा जन सामान्य को यह सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) सहपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे उल्लेखित सम्पत्तियों का कब्जा प्राप्त कर लिया है जिसकी तिथि यहां उल्लेखित है।

क्र. स.	ऋण अनुबंध संख्या/ऋणधारक/ सह ऋणधारक/ जमानतदार का नाम	डिमांड नोटिस की तिथि व बकाया	कब्जा लेने की तिथि	अचल संपत्ति का विवरण: संपत्ति के पते में शामिल संपत्ति के सभी खंड व हिस्से।
1	LXMOALWAR5422-230671957 / ऋणधारक: - याद राम / सह-ऋणधारक: पप्पी बाई	09.07.2025 के लिए रु. 830492/-	15-10-2025	पट्टा संख्या 11 बुक संख्या 29 टोडली खिलोरा बहादुरपुर, मंगला आश्रम 301028 अलवर राजस्थान

ऋणधारक को विशेष रूप से एवं जन सामान्य को सावचेत किया जाता है कि इस सम्पत्ति के साथ किसी तरह का सौदा न करें और इस सम्पत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि ऊपर उल्लेखित राशि व ब्याज के लिए **मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड** के प्रभार का विषय होगा।
ऋणधारक का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर दिलाते हुए उन्हें उपलब्ध समय में सुरक्षित आस्तियों को मुक्त करवाने के लिए आमंत्रित किया जाता है।
स्थान : राजस्थान **हस्ता/-प्राधिकृत अधिकारी**
दिनांक: 18.10.2025 अनुवाद में त्रुटि या विसंगति होने पर अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा। **(मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड)**

एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड
कॉर्पोरेट कार्यालय : 503 और 504, पांचवीं मंजिल, जी-ब्लॉक, इंस्पायर बीकेसी, बीकेसी मेन रोड, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), मुंबई - 400051
पंजीकृत कार्यालय: कॉमरजोन आईटी पार्क, टॉवर बी, प्रथम तल, नंबर 111, माउंट पूनमल्ली रोड, पोरुर, चेन्नई - 600116, टीएन
अचल संपत्ति के कब्जे की सूचना [(परिशिष्ट IV) नियम 8(1)]
चूंकि अधोहस्ताक्षरी **एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड** जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी [नेशनल हाउसिंग बैंक (पूर्णतः आरबीआई के स्वामित्व में) के साथ पंजीकृत है] (यहां बाद में इसे **'एसएमएचएफसी'** कहा गया है) का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आस्तियों के पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के तहत, और धारा 13(12) सहपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों की पालना में उक्त अधिनियम की धारा 13(2)के अधीन नीचे उल्लेखित तिथि को डिमांड नोटिस जारी कर ऋणधारकों **(नाम नीचे उल्लेखित)** के रूप में आपको नोटिस में वर्णित राशि व इस पर ब्याज अदा करने के लिए उक्त नोटिस प्राप्त होने की तिथि से **60 दिवस के** भीतर बुलाया था। यहां नीचे उल्लिखित ऋणधारक राशि का भुगतान करने में असफल रहे हैं, यहां नीचे वर्णित ऋणधारकों और जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) सहपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम,2002 के नियम 8 में स्वयं को मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। यहां उक्त ऋणधारकों को विशेष रूप से एवं जन सामान्य को यहां सावचेत किया जाता है कि इस सम्पत्ति के साथ कोई सौदा न करें और सम्पत्ति के कोई भी सौदा नीचे बताई राशि व इस पर ब्याज के लिए **'एसएमएचएफसी'** के प्रभार का विषय होगा।

क्र. सं.	ऋणधारक(ों)/ जमानतदार(ों) एलएएन का नाम	सुरक्षित आस्तियों का विवरण (अचल संपत्ति)	डिमांड नोटिस तिथि व राशि	कब्जे की तिथि
1	एलएएन:- 615539211323146 1.पूनम कंवर पत्नी वीरेन्द्र सिंह 2. वीरेंद्र सिंह पुत्र पदम सिंह राजावत	प्लॉट संख्या बी-59-ए, माँ वैष्णो नगर, 200 फीट बाईपास रोड के पास, वैशाली नगर, जयपुर, राजस्थान-302021. अधिमापन क्षेत्र: 100 स्क्वैयर यार्ड। चार सीमाएँ: उत्तर: अन्य भूमि,